1912

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२०१८ निगरानी

निगरानी-4028/2018/भिण्ड/भू.रा.

१- मनीष । पुत्रगण जानकीप्रसाद खुरासिया
२- राहुल ।
निवासीगण- वार्ड नम्बर १५, गोहद,
तहसील गोहद जिला भिण्ड-मध्यप्रदेश ।

-------- प्रार्थीगण

विरुद्ध

१- रामकुमार पुत्र जगदीश प्रसाद,
२- भारत पुत्र रामकुमार खुरासिया,
निवासीगण वार्ड नम्बर १५, गोहद,
तहसील गोहद, जिला भिण्ड-मध्यप्रदेश ।

--------- प्रतिप्रार्थी

निगरानी विरुद्ध आदेश एस०डी०ओ० महोदय गोहद, जिला भिण्ड दिनांक २८-३-१८, अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९। प्र०क्र० ६२। २०१५-१६ अपील माल ।

---

श्रीमान् जी,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है:-

१- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय की विवादित आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एंव कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

३- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय ने विवादित आदेश पारित करते समय धारा ४९ के प्रावधान के अनुसार अपीलीय न्यायालय व्दारा प्रकरण प्रत्यावर्तित किया जाना वर्जित होने से एस०डी०ओ० महोदय द्वारा पारित आदेश अधिकार रहित होने से प्रथम दृष्टया

XXIX(a)-BR(H)-11

412

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** - निगरानी-4028/2018/भिण्ड/भू.रा.

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 05-12-18 | आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25-5-19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों।<br><br>**प्रशासकीय सदस्य** | |